(22)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश चन्द गोयल आर.ए.एस.

मु.न.	किस्म मुकदमा	ता. रजू	ता. फैसला
250/16	प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी	28.09.16	28.02.17

उनवान

ठा. मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी व एतमाम पुजारी रामचरण पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी मंडरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली

..... प्रार्थी

बनाम

1. लच्छी
2. कल्याण

पिसरान गोविन्दा जाति जाटव निवासीयान मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली

..... अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.02.17

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का खिलाफ अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में पेश किया था। दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मु.न. 27/2011 भी प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 16.03.2012 को बाद सुनवाई उभयपक्षकारान् को विवादित भूमि ख.न. 761 ग्राम मण्डरायल की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा भूमि का हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय होने तक पाबन्द किया गया । उक्त निर्णय की अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी थी । इसके बाबजूद अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.12 की जानबूझकर अवहेलना व अवमानना कर अप्रार्थीगण ने ख.न. 761 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा में से हिस्सा 1/6 को बिल एवज 2,00,00/– रूपये में शिवराम पुत्र किशोरी जाति जाटव नि. धौरेटा को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 19.07.16 को विक्रय कर कब्जा कराया गया है। वयनामा की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी के 1/6 हिस्से को विक्रय कर न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.12 की खुले तौर पर उसका उल्लंघन कर अवहेलना व अवमानना करने का जुर्म किया है, जिसके लिए अप्रार्थीगण दोषी है और दण्ड पाने के अधिकारी है। अंत में अप्रार्थीगण को सिविल कारावास से दण्डित करने व वयनामा दिनांक 19.07.16 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 26.10.16 को एक पक्षीय कार्यवाही व आदेश किये जा चुके है। प्रकरण में साक्ष्य प्रार्थी एकपक्षीय ली गई। प्रार्थी ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत क आदेश दिनांक 16.03.12 प्रदर्श–1 एवं वयनामाा प्रदर्श–2 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गयी।

28/2/17

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थीगण ने स्टे आदेश दिनांक 16.03.12 न्यायालय हाजा की खुले रूप से अवहेलना कर दिनांक 19.07.16 को ख.न. 761 ग्राम मण्डरायल के 1/6 हिस्से का वयनामा 2,00,000/– रूपये लेकर रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सम्भलवाया है, जो न्यायालय आदेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना व अवमानना है। उक्त अवहेलना प्रदर्श–1 स्टे आदेश दिनांक 16.03.12 व वयनामा दिनांक 19.07.16 प्रदर्श–2 से साबित है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं वयनामा का निरस्त किया जावे।

बहस वकील प्रार्थी का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.03.12 को ख.न. 761 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा ग्राम मण्डरायल को हस्तान्तरण नहीं करने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने को उभयपक्षकारान को ताफैसला मूल वादपत्र तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है।उक्त प्रकरण में स्वयं उप पंजीयक बतौर लैण्ड होल्डर तहसीलदार के रूप में पक्षकार भी रहे है और बतौर पैरोकार उपस्थित प्रकरण में हुए हैं। अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 ने स्टे आदेश दिनांक 16.03.12 प्रदर्श–1 की अवमानना करते हुए ही वयनामा दिनांक 19.07.16 प्रदर्श–2 उपपंजीयक एवं तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) मण्डरायल के कार्यालय में ही पंजीयन कराया गया है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य दण्डनीय है एवं स्वयं उप पंजीयक एवं तहसीलदार ने भी अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य में सहयोग करते हुए स्टे आदेश की जानकारी होते हुये उक्त वयनामा पंजीकृत किया गया है।

इस प्रकार मेरे विनम्र मत में अप्रार्थीगण को न्यायालय आदेश की अवमानना के लिए सिविल कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उपाधीक्षक उप कारागृह करौली को नियमानुसार अप्रार्थीगण की एक माह की राशि जमा कराने पर अप्रार्थीगण को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब कर सिविल कारावास के लिए उप कारागृह करौली को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/17

(सुरेश चन्द गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)